कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 02, बालाघाट

E-mail – gm_bgtpiu.2@rediffmail.com - 07632240600

पत्र क्र. 1051 /तक/मप्रग्रासप्रा/2025 बालाघाट दिनांक 20/5/2025

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत खुरसुड–गौनाझोला से खारा तक सडक निर्माण कार्य किये जाने हेतु 14.045 हेक्टेयर वनभूमि महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रंमांक FP/MP/ROAD/156089/2022 एवं प्रकरण क्रंमांक WL/MP/ROAD/480149/2024)

संदर्भ :– 1. वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट का पत्र क्रं. 3016/बालाघाट दिनांक 15.05.2025

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/1247/2023/10–11/1434 भोपाल दिनांक 09.05.2025

----00----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में लेख अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत खुरसुड–गौनाझोला से खारा मार्ग निर्माण हेतु 14.045 हेक्टयेर वन भूमि म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशो के तहत राशि केम्पा मद में जमा कर एवं वन्यजीव अनुमति अंतर्गत वांछित राशि म.प्र. टाईगर सोसायटी के खाता क्रमांक 10571048460 में जमा कर ऑनलाईन चालान की प्रति एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण कर पोर्टल में अपलोड किया गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्ते A1 से 13 एवं B1 से 16 तक शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया खुरसुड–गौनाझोला से खारा मार्ग निर्माण हेतु 14.045 हेक्टयेर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

Maya

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 2, बालाघाट

पृ. क्र. 1052/तक/मप्रग्रासविप्रा/2025 बालाघाट, दिनांक 20/5/2025

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उप वनमंडलाधिकारी कटंगी (सा.) की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी (सा.) परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

Maya

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 2, बालाघाट

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-2 Balaghat

Name of Road - Khursud-Gounajhola to Khara

Proposal No. - FP/MP/ROAD/156089/2022 14.045 Hact.

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्ते	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन
A	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Dapartment.**	
1	The Cost of compensatory afforestation on the **CA land 28.09 ha. (out of 89.255ha.) Chhote-Bade Jhad ka Jungle** at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land againgst encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provisions for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के पालन में ग्राम सुन्दर तहसील तिरोडी जिला बालाघाट के वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना 89.255 हेक्टेयर की राशि 06 प्रकरणों हेतु राशि रू. 26485030.00 ऑनलाईन केम्पा मद में दिनांक 04.01.2024 को जमा करा दी गई है। (संलग्न – चालान की प्रति)
2	Chhote-Bade Jhad ka Jungle land shall be transferred and mutated in fovour of state forest department and documents shall be submitted.	उक्त गैर वनभूमि पर वन विभाग के नाम हस्तांतरण करा दी गई है। कलेक्टर बालाघाट के आदेश कमांक रा.प्र.क./0029/अ–59 वर्ष 2022–23 ग्राम सुन्दर पटवारी हल्का नं. 30 द्वारा दिनांक 05.12.2022 को वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चूकि है। (खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है)
3	The said land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under section-4 or Protected Forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (s) of the State Forest Act. Copy of PF/ RF notification may be sent in Stage-I compliance report.	वन विभाग से संबंधित है।
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 14.045 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	शर्त के पालन में NPV की राशि रू.17255547.00 एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि रू. 18304676.00 कुल राशि रू. 3,55,602,23.00 ऑनलाईन केंपा मद में दिनांक 13.05.2025 को जमा कर दी गई है। (संलग्न – चालान की प्रति)

Maya
GM

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Name of Road - Khursud-Gounajhola to Khara

Proposal No. - FP/MP/ROAD/156089/2022 14.045 Hact.

5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	राशि ऑनलाईन केम्पा मद में जमा कर दी गई है।
6	Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the cocreneded District Collector.	FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
7	The User Agency shall strictly follow the conditions of Wildlife clearance imposted by PCCF (WL) & CWLW Madhaya Pradesh in the approval letter issued dated 13-01-2025.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
8	The road side plantation shall be carried out by state Forest Depatment as per the scheme submitted and the reuisite fund shall be deposited in CAMPA by the Projecte Proponent.	रोड साइड प्लान्टेशन की राशि चालान द्वारा दिनांक 13.05.2025 को जमा की जा चुकी है।
9	The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेंगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। (वचन पत्र संलग्न है।)
10	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।
11	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation). Act 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तो A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
13	In case working permission is granted by the State Forest Department, a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-I approval.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्तों का पालन किया जावेगा।

Maya
cm

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Name of Road - Khursud-Gounajhola to Khara

Proposal No. - FP/MP/ROAD/156089/2022 14.045 Hact.

B	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 28.09 ha. (out of 89.255ha) Chhote-Bade Jhad ka Jungle at the cost of the user angcy. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non native species shall be avoided. Details of CA are follows: No / Distrct / tehsil / village / Khasra / CA Area (in Ha.) 1. / Balaghat / Tiraodi / Sunder / 201/1.264/1 / 28.09	दक्षिण वनमंडल बालाघाट से संबंधित है।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है)
4	The User Agency Shall restrict felling of trees to the enumerated 1521 numbers/any minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency wtih the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है)
5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
6	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	मार्ग का केरिज वे 3.75 मी. है। मार्ग के दोनो ओर पूर्व से पेड है एवं आवेदक विभाग न्युनतम वृक्षो की कटाई के लिए बचनबद्ध है एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि वनमंडल बालाघाट को उपलब्ध की गई है। अतः सड़क के मध्य के दूरी पर वृक्षारोपण किया जाना उचित नही है।
7	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

Maya
CMM

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Name of Road - Khursud-Gounajhola to Khara

Proposal No. - FP/MP/ROAD/156089/2022 14.045 Hact.

8	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forest.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	The period of diversion under this approval shall be co -terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts. Rules, Regulation, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The forest land proposed to be divered shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
16	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

Maya

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-2 Balaghat

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Online payment history made by User Agency under CAMPA

2	FP/MP/ROAD/155435/2022 Halbitola bhalwa kalagota kesha mate under RCPLWEA Scheme	ROAD1554352022846	61155435846	11-Nov-23	CA: 26485020/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2764328/- , Other Charges : 0/- CA RDF : 13443364/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 42692712/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 02-Jan-24 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 02-Jan-24 Transaction Date : 04-Jan-24	Demand Letter Generated Challan

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि. क्रियान्वयन इकाई क्र.1 बालाघाट

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11091809797

ग्राम: सुन्दर			पटवारी हल्का: सुन्दर			तहसील: तिरोड़ी			जिला: बालाघाट		वर्ष: 2023-2024
									फसल के ब्यौरे		
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी जानकारी 2. भूमि पर खड़े वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान खसरा कॉलम (1) से (9) तक में परिवर्तन के हवाले के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1209662842 7DLA0MDCQD94H0	210/1 (S)		17.4010 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0029/अ-59/2022-23 पर पारित दिनांक05/12/2022के अनुसार दिनांक 18/12/2023 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0029/अ-59/2022-23 आदेश दि. 05/11.2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतन। म.प्र. शासन बड़े झाड़ का जंगल न्यायालय कलेक्टर रा.प्र.क्र. ००२९/अ-५९ वर्ष 2022-23 आदेश दिनांक ०५/१२/२०२२ के अनुसार उक्त टिप्पणी को हटाया

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.01.18 17:34:34 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11091809797

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रपत्र एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11091809910

ग्राम: सुन्दर			पटवारी हल्का: सुन्दर			तहसील: तिरोड़ी			जिला: बालाघाट		वर्ष: 2023-2024
भूमि के खाते की यूनिक आईडी	भूमि के खसरे का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी जानकारी 2. भूमि पर अवस्थित वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1246647925 7DLCR8DCQY7UH0	264/1 (S)		71.8540 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0029/अ-59/2022-23 पर आदेश दिनांक05/12/2022के अनुसार दिनांक 16/12/2022 को [illegible] टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0029/अ-59/2022-23, आदेश दि. 05/11/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। म.प्र. शासन बड़े झाड़ का जंगल न्यायालय कलेक्टर रा प्र क्र 0029/अ-59 वर्ष 2022-23 आदेश दिनांक 5/12/2022 के अनुसार इस खेत का [illegible]

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.कियान्वयन इकाई कं. 1 बालाघाट

लोक सेवा केन्द्र बालाघाट (म.प्र.)

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.01.18 17:35:51 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11091809910

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, महाप्रबंधक

म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 2 बालाघाट
फोन नं. – 07632-240600 E-mail :- gm_bgtpiu.2@rediffmail.com , Mob No. 8989851176

पत्र क्रमांक 982 /लेखा/ग्रा. स. प्रा./2025 दिनांक 12/05/2025

प्रति,

शाखा प्रबंधक,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
शाखा–बालाघाट (म. प्र.)

विषय :– Ad- HOC CAMPA मद् में राशि NEFT/RTGS करने बावत्।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि Ad-HOC CAMPA के निम्नलिखित खाता क्रमॉक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु चैक क्रमॉक 162126, दिनॉक 12.05.2025 राशि रू. 3,55,60,223.00 (शब्दो में :– तीन करोड़ पचपन लाख साठ हजार दो सौ तेईस रूपये मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त चैक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No)/ UTR No. छायाप्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करे।

खाते का विवरण निम्नानुसार है:–

S.No.	Beneficiary Name	Name of the Bank	IFSC Code	Account No.	Amount	Mobile No.
1	Madhya Pradesh CAMPA	Union Bank of India, FCS Centre, 21/1, III Floor Jelitta Towers Mission Road Bengaluru-560027	UBIN0996335	1507661156089175	3,55,60,223.00	8989851176
				Total	3,55,60,223.00	

(शब्दों में रू. :– तीन करोड़ पचपन लाख साठ हजार दो सौ तेईस रूपये मात्र/–)

संलग्न :– चैक क्रमांक 162126, दिनॉक 12.05.2025
राशि रू.:– 3,55,60,223.00
दिनांक :– 12.05.2025

महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.–2, बालाघाट

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1039 बालाघाट

Scanned with OKEN Scanner

सभी शाखाओं पर देय/ PAYABLE AT ALL BRANC

1 2 0 5 2 0 2

D D M M Y Y Y

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अरेहिल अरेरा हिल्स भोपाल, शाखा भोपाल - 462011
AREHIL ARERA HILLS BHOPAL BRANCH BHOPAL - 462011
IFSC: CBIN0283312

38248

Payee's A/c only

PAY Branch Manager, Central Bank of India, Balaghat या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Three Crore Fifty Five Lakh sixty Thousand Two Hundred Twenty Three only.

अदा करें ₹ 3,55,60,223=

खा.स. A/c No 1793102296

6922013971

Account Officer
MPRRDA ADMINISTRATIVE A/C MPRRDA
MPRRDA INTERNET BANKING SUPER OIF

General Manager
PIU-II
Balaghat (M.P.)

चेक जारी करने से पहले चेक बुक सक्रिय करें
Activate Cheque book before Issuance of cheque

कृपया, हस्ताक्षर ऊपर करें / Please sign a

⑈162126⑈ 462016014⑆ 000017⑈ 31

CBINR52025051310050207

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
1039
शाखा बालाघाट

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

1	FP/MP/ROAD/156089/2022 Khursod Gaunajhola to Khara	ROAD156089 2022175	61156089175	07-May-25	**CA:** 0/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 17255547/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 35560223/-	**Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Road side Plantation :** 18304676/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09-May-25 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 09-May-25 **Transaction Date** : 13-May-25	Demand Letter Generated Challan

Maya
General Manager
MPRRDA PIU-II
Balaghat (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 02 बालाघाट" द्वारा **"खुरसुड़ गौनाझोला से खारा मार्ग निमार्ण कार्य'** हेतु तहसील परसवाड़ा आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक **44-A, 53, 44-B, 56 52, 57, 58, 51, 41, 46, 50, 49, 60, 62** के वन क्षेत्र में रकबा **14.045 हेक्टेयर** वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।

2- ग्राम पंचायत खुरसुड़ एवं ग्राम पंचायत आमगांव, जनपद पंचायत परसवाड़ा के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ /प्रतिक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नही है एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नही किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।

3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति बैहर के द्वारा **"खुरसुड़ गौनाझोला से खारा मार्ग निमार्ण कार्य"** हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।

4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

(सचिव)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)
सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वन मंडल बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	कलेक्टर जिला बालाघाट जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-I

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

****

No 2279..... Dated 15/6/2023

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of Indias letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA,for short) on the forest land proposed to be diverled for non-forest purposes read with MoEF'sletter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain reiaxation in respect of lioner projects, it is certified that **14.045 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 02 Balaghat,** (name of user agency) for **Khursud Gonajhola to Khara Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of North Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest **Block Paraswada Tah./Block Paraswada, Village-Khursud, Aamgoan in Compartment No. 44-A, 53, 44-B, 56 52, 57, 58, 51, 41, 46, 50, 49, 60, 62 Total Area 14.045 Hec. in** Forest land village(s) in **Paraswada** tehsils.

It is further certified that:

(a) The compltet process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **14.045 hectares** of forest land proposed for diversion.A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s)and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been complaeted and the Gram Sabhas have given their consent. to it;

(c) (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above;

Signature
(full name and official seal of the District Collector)

(Dr. Girish Kumar Mishra)
COLLECTOR
BALAGHAT

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

–: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **खुरसुड–गौनाझोला से खारा** मार्ग में वन परिक्षेत्र कटंगी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 44-A,53,44-B,56 52.57,58,51,41,46,50,49,60,62 में रकबा 14.045 हेक्टेयर में प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेंगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

Mayer

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 2, बालाघाट

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

—: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **खुरसुड–गौनाझोला से खारा** मार्ग में वन परिक्षेत्र कटंगी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 44-A,53,44-B,56 52.57,58,51,41,46,50,49,60,62 में रकबा 14.045 हेक्टेयर भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में **NPV** की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

Maya

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 2, बालाघाट

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

-: वन क्षति नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत खुरसुड-गौनाझोला से खारा मार्ग में वन परिक्षेत्र कटंगी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 44-A,53,44-B,56 52.57,58,51,41,46,50,49,60,62 में रकबा 14.045 हेक्टेयर में प्रस्तावित वन भूमि में सड़क निर्माण के दौरान कोई भी वृक्ष नही काटे जावेगें। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

Maya

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 2, बालाघाट

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

WN-05 dt. 29/04/2025

कार्यालय, महाप्रबंधक

म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 2 बालाघाट

फोन नं. – 07632-240600 E-mail :- gm_bgtpiu.2@rediffmail.com , Mob No. 8989851176

(7)

पत्र क्रमांक 850 /लेखा/ग्रा. स. प्रा./2025 दिनांक 28/04/2025

प्रति,

शाखा प्रबंधक,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
शाखा–बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– M.P. Tiger Foundation Society मद् में राशि NEFT/RTGS करने बावत्।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत M.P. Tiger Foundation Society के निम्नलिखित खाता क्रमॉक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु चैक क्रमॉक 155340, दिनॉक 28.04.2025, राशि रू. 25,44,520.00 (शब्दो में :– पच्चीस लाख चौवालीस हजार पॉच सौ बीस मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है।

कृपया उक्त चैक खातें में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No)/ UTR No. छायाप्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करे।

खाता का विवरण निम्नानुसार है:–

s.No.	Beneficiary Name	IFSE Code	Pay TO Account No	Amount	Bank Name & Address	Mobile No.
1	MADHYA PRADESH TIGER FOUNDATION SOCIETY	SBIN0001308	10571048460	25,44,520.00	State Bank of India T.T. Nagar, Main Branch Bhopal (M.P.)	8989851176
			Total	25,44,520.00		

संलग्न :– चैक क्रमांक :–155340
राशि रू. :– 25,44,520.00
दिनांक :– 28.04.2025

Maya Pask

महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.–2, बालाघाट

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1039 शाखा बालाघाट

MPRRDA-2/Work/Central/State fund/ IT 2024-25 (B)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

सभी शाखाओं पर देय/ PAYABLE AT ALL BRANCHES

Central Bank of India

अरेहिल अरेरा हिल्स भोपाल शाखा भोपाल - 462011
AREHIL ARERA HILLS BHOPAL BRANCH BHOPAL - 462011
IFSC: CBIN0283312

55240

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
2	8	0	4	2	0	2	5

PAY Branch Manager, Central Bank of India, Balaghat या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Twenty Five Lakh Forty Four Thousand Five Hundred Twenty only. अदा करें। ₹ 25,44,520=00

खा.सं. A/c No 1793102296

6922013971

Account Officer
MPRRDA PIU-2
Balaghat

General Manager
ADMINISTRATIVE A/C MPRRDA PIU-II
INTERNET BANKING SUPER CIF
Balaghat (M.P.)

चेक जारी करने से पहले चेक बुक सक्रिय करें
Activate Cheque book before issuance of cheque

कृपया हस्ताक्षर ऊपर करें / Please sign above

⑈155340⑈ 462016014⑆ 000017⑈ 31

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

UTR Number: CBINR52025042910009137

Value Date: 29/04/2025

Amount: 2544520.000 INR

Related Ref.No:

Commission: 0.000

Ordering Institution:

Beneficiary Details

Beneficiary A/C: 10571048460

Benef. Name And Address:

/M10571048460

MADHYA PRADESH TIGER FOUNDATION SAI

Remitting Customer Details

Account Number: 00000001793102296

Remitter's Name And Address:

00000001793102296

ADMINISTRATIVE A C MPRRDA

BLOCK2

PARYAVASBHAWAN

Account Institution:

Beneficiary bank/branch

IFSC Code: SBIN0001308

Details of Payment:

AAATM9054A 01

Sender's To Receiver Information

Error Code

Close

01 MAY 2025

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Upload UTR Receipt

Browse or drop your file here

⚠ Only pdf file(s) are allowed. Maximum file size is 2 MB.

Transaction/UTR/Cheque or DD Number	Date of Transaction	Amount paid	Bank Name	Branch Name	Account Name	UTR Receipt
CBINR52025042910009137	29/04/2025	2544520	State Bank of India	T.T. Nagar Main Branch Bhopal M.P.	10571048460	new doc 05-06-2025 17.07.pdf

Total

Total

Amount in Words : **Twenty Five Lakh Forty Four Thousand Five Hundred Twenty Rupees Only**

Remarks

Remarks

Back

Next

General Manager
MPRRDA PIU-II
Balaghat (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय कलेक्टर बालाघाट (म0प्र0)

सुंदर

रा0प्र0क0/0029/अ-59 वर्ष 22-23
मौजा सुंदर प0ह0नं0- 30
रा0.नि.मं तिरोडी तहसील तिरोडी
जिला बालाघाट म.प्र.

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट
———आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

आदेश दिसम्बर
(पारित दिनांक 5 नवम्बर 2022)

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन के तहत वन भूमि के विरूद्ध समतुल्य गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने निवेदन किया गया है ।

वन विभाग को ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा 17.401, 71.854 हे. भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में तहसीलदार तिरोडी द्वारा प्रकरण न्यायालय में संस्थित कर प्रकरण में सम्पूर्ण जांच कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में ईश्तहार का प्रकाशन किया गया है। निर्धारित अवधि में कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । राजस्व विभाग एवं वनविभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त जांच की गई। ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा 17.401, 71.854 हे. भूमि म.प्र.बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है, जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। ग्राम का 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा सुरक्षित रखने के उपरांत ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा 17.401, 71.854 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांरित किये जाने अनुशंसा सहित प्रतिवेदित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी रा. कटंगी द्वारा तहसीलदार तिरोडी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा 17.401, 71.854 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांरित किये जाने अनुशसा की गई है।

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा 17.401, 71.854 हे. भूमि वर्तमान अभिलेख में म.प्र.शासन बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है। तहसीलदार तिरोडी अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटंगी द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति दर्शायी है। प्रकरण में भूमि का स्थल निरीक्षण भी वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है तथा उन्होंने उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण के अवलोकन उपरांत राजस्व रिकार्ड में ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा 17.401, 71.854 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में म.प्र.शासन बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है। जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 18.11.2022 में पारित स्वीकृति प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत तथा अनुविभागीय अधिकारी कटंगी एवं तहसीलदार तिरोडी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत ग्राम सुंदर तहसील तिरोडी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 210/1, 264/1 रकबा क्रमशः 17.401, 71.854 हे. कुल– 89.255 हे. भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–दो की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट को निर्देशित किया जाता है, कि वे वन विभाग की समिति द्वारा जारी स्वीकृति की कंडिकाओं का पालन करते हुए कार्य संपादित करें ।

आज दिनांक 5/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आदेश पारित किया गया।

(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)
कलेक्टर
जिला बालाघाट (म0प्र0)

पृ0क्र0/ 6333 /रीडर/कले0/2022 बालाघाट दिनांक– 5/12/2022

प्रतिलिपि :–

1– महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट ।
2– वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बालाघाट
3– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटंगी।
4– तहसीलदार तिरोड़ी जिला बालाघाट ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
बालाघाट (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner